Succession Act itself. It is neither covered by the principles of testamentary succession nor by the principles of intestate succession.

Apart from that, may I say here that the judgment referred to has also been brought to the notice of Government. As a matter of fact, the Punjab Government have appointed a committee of enquiry, which is going into the whole question as to how best the Punjab customary law can be amended not only to cover testamentary disposition of property but also to cover cases of transfer *inter vivos*. And that is already under the consideration of Government, and it will be better if a comprehensive Bill is brought forward, covering both testamentary succession as well as cases of transfer *inter vivos*.

For these reasons, instead of going through a Bill hastily like this, may I request that since the matter is under the consideration of Government, the further consideration of the Bill may be postponed

Mr. Chairman: It is the request of the hon. Minister that the further consideration of the Bill be postponed. I suppose the House agrees with it.

Several Hon. Members: Yes.

Shri A. C. Guha (Barasat): What is the reaction of the hon. Mover of the Bill?

Shri Hem Raj: The hon. Deputy Minister has just stated the reasons why he wants a postponement. No doubt, I had put one question here.

Shri Bade: What has the hon. Member got to say regarding transfer *inter vivos*? The hon. Deputy Minister has stated that he is transgressing the limits and going ahead. What has the hon. Member got to say regarding transfer *inter vivos*? Let him explain the position in regard to that.

Shri Hem Raj: So far as my Bill is concerned, according to the version of the hon. Deputy Minister, such custom may be prevailing in other States also, and he has stated that the Punjab Government have also appointed a committee of enquiry. No doubt, that is true. But I had been putting questions after questions here, when this amending Bill was to be taken up, but there was no response from Government, and, therefore, I thought it proper that I should move my amending Bill for consideration, so that the attention of Government may be pinpointed towards this amendment of the Hindu Succession Act.

Now, if Government are of the view that after getting the report of the Punjab Government we should discuss this Bill, I have got no objection to the Bill being postponed.

Mr. Chairman: I suppose the postponement is agreed to by the House.

Several hon. Members: Yes.

Mr. Chairman: So, the postponement is agreed to by the House.

16.54 hrs.

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(*Omission of section 87B*)
by Shri M. L. Dwivedi

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur): I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908 be taken into consideration.".

सभापति महोदय, मैं ने जो विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसका उद्देश्य स्पष्ट है, न्यायोचित है । माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे देश में कुछ समय पूर्व बहुत से देशी राज्य थे । ये देशी राज्य हमारे वर्तमान राज्यों में विलीन हो चुके हैं । इन देशी रियासतों के राजा महाराजाओं अथवा भूतपूर्व शासकों को भारत की नागरिकता के वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो हम सब को प्राप्त हैं, भारत के साधारण

[श्री म० ला० द्विवेदी]

नागरिक को प्राप्त हैं । सरकार ने कुछ समय पूर्व एक ऐसा अधिनियम बनाया था जिसके अनुसार हमारे देश के इन शासकों को वे अधिकार दे दिये गये थे जो इस देश से दूर रहने वाले राजा महाराजाओं या शासकों को प्राप्त हैं, अर्थात यदि इंग्लैंड की रानी यहां भारत में आये तो उसके विरुद्ध दीवानी का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है, दीवानी का अभियोग नहीं चलाया जा सकता है । यह सही भी है कि विदेशी शासकों पर हमारे देश में दीवानी के मुकदमे न चलाये जायें । लेकिन जो राजे महाराजे हमारे देश में रहते हैं और जो पहले से रहते चले आ रहे हैं और जिन के शासनाधिकार अब विलीन हो चुके हैं, उनको भी वैसे ही अधिकार प्राप्त हों जैसे विदेशी शासकों को प्राप्त हैं, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है और मेरा खयाल है इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की समझ में भी नहीं आती होगी ।

इसलिए इस माननीय सदन के सम्मुख जो विधेयक मैं ने प्रस्तुत किया है उस में मैं ने यह बताया है कि संविधान में हम ने जो मूलभूत सिद्धान्त निर्धारित किये हैं, उन के अनुसार इस देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिये । भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध दीवानी का अभियोग न चलाने की जो बात सरकार ने स्वीकृत कर रखी थी, मेरे खयाल में इसलिए कर रखी थी कि कदाचित सरकार को यह डर था कि इन शासकों के विरुद्ध कुछ लोगों में ईर्ष्या थी और एक प्रकार की विरोधी भावनायें विद्यमान थीं और ऐसा सम्भव था कि इनके विरुद्ध झूठ मूठ के मामले चलाये जा सकते थे । लेकिन अब हमारे देश को स्वतंत्र हुए लगभग पंद्रह वर्ष हो चुके हैं और इस बीच में इन रियासतों को विलीन हुए भी तेरह चौदह वर्ष बीत चुके हैं और वह बात जिसका सरकार को डर था अब नहीं रही है ।

हमारे देश में भूतपूर्व शासकों को नागरिकता के सभी अधिकार प्राप्त हैं । वे अच्छा जेब खर्च पाते हैं, उन के जो अधिकार थे वे सुरक्षित हैं और साथ ही साथ उनको यह अधिकार भी प्राप्त है जो हम को प्राप्त है और अन्य नागरिकों को भी प्राप्त है कि वे निर्वाचनों में हमारे समकक्ष चुनाव लड़ सकते हैं । और भी जो अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, वे उन को भी मिले हुए हैं । इन अधिकारों के अतिरिक्त उन को कुछ विशेष सुविधायें भी मिली हुई हैं और हमारी सरकार ने उन से समझौता करते समय उन को कुछ आश्वासन भी दिये थे । मैं उन के विरुद्ध नहीं हूं । यह अधिकार वास्तव में भारतीय जनता को प्राप्त था कि दीवानी मुकदमा उनके खिलाफ चलाया जा सकता था । लेकिन एक शर्त लगा दी गई

श्री रामेश्वरानन्द : जब आप उन के विरुद्ध हैं, तो इनके क्यों विरुद्ध नहीं हैं ?

श्री म० ला० द्विवेदी : जो बात मेरे सामने है, उसको मैं आगे लाऊंगा और जब आप इस पर अपने विचार रखेंगे, तो मैं उसका समर्थन भी करूंगा । मैं इस से बाहर की बातों का उल्लेख करना नहीं चाहता और उनका उल्लेख करना नही चाहता जो आवश्यक नहीं हैं ।

इस समय जिस वस्तु की आवश्यकता है वह यह है कि इनके विरुद्ध हम दीवानी अभियोग भी चला सकते हैं, ऐसा अधिकार जनता को मिलना चाहिये । इसका कारण यह है कि राजे महाराजे अब व्यापार भी करते हैं साधारण नागरिकों से लेन देन भी करते हैं । ऐसी स्थिति में साधारण व्यक्ति का रुपया या धन या जायदाद या सम्पत्ति यदि भूतपूर्व शासकों के पास है और वे उसे देना नहीं चाहते तो साधारण नागरिक वंचित है इस अधिकार

से कि उसको प्राप्त करने के लिए वह न्याय प्राप्त कर सके और न्यायालय में जा सके। सरकार ने यह सुविधा अवश्य दी है कि कोई भी नागरिक यदि किसी शासक के विरुद्ध अभियोग चलाना चाहता है तो वह गृह मंत्रालय के पास अपना प्रार्थना पत्र भेजे और जब गृह मंत्रालय अपनी स्वीकृति दे दे कि हां तुम चला सकते, तो ही ऐसा अभियोग चलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। देखा यह गया है कि गृह मंत्रालय का जो सचिवालय है वह ऐसे विषयों पर अति विलम्ब से विचार करता है और इस में वर्षों लगा देता है और उसकी स्वीकृति नागरिकों को जल्दी नहीं मिल पाती। बहुत से ऐसे केसिस भी हैं कि जहां पर स्वीकृति प्राप्त ही नहीं हुई है। ऐसा भी सम्भव होता है कि वे लोग जिन पर अभियोग चलाये जाने की बात चलाई जाती है और स्वीकृति प्राप्त करने का आवेदन किया जाता है, वे गृह मंत्रालय के सचिवालय को प्रभावित कर लेते हैं, गृह मंत्रालय में प्रभाव डाल लेते हैं और इस कारण भी, कुछ तो नासमझी के कारण और कुछ गलत-फहमी के कारण या कुछ विशेष सुविधायें प्राप्त होने के कारण गृह मंत्रालय लोगों को स्वीकृति नहीं देता और स्वीकृति न मिलने के कारण जो कठिनाई उन नागरिकों को होती है जिन की सम्पत्ति अथवा धन अथवा रुपया फंसा होता है, उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। वे किसी प्रकार से भी अपना धन प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी कठिनाई जो लोगों के सामने है वह इतनी विशाल है कि उस का अनुमान वह नहीं लगा सकता जो कि सम्पन्न हो। जिस दरिद्र के पास, गरीब के पास छोटी सी जायदाद हो, थोड़े से रुपयों से काम चलाता हो, उस का रुपया फंस जाता है और न उस का ब्याज उस को प्राप्त होता है न उस से कोई काम उस का चल सकता है, न ही वह अपनी जीविका उपार्जन कर सकता है। अन्धेर खाते में उस की अपील पड़ी रहती है। न गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिलती है न अपील चल सकती है। कोई ठिकाना नहीं है जहां से वह अपने धन को प्राप्त करने के लिये न्याय मांग सके या न्यायालय के पास जा सके।

ऐसी स्थिति में जो यह विधेयक है वह इस बड़ी गड़बड़ी को, इस अन्याय को जो कि समाज पर किया जा रहा है, मिटाने की चेष्टा कर रहा है। मेरे विधेयक का उद्देश्य यह है कि जो आप के जान्ता दीवानी की ८७ (ब) धारा है, जिस में कि शासन को यह अधिकार दिया गया है कि उस के विरुद्ध दीवानी की अपील नहीं चलाई जा सकती, उस को निकाल दिया जाये हमारी संहिता से, जिस से कि सभी नागरिक एक ऐसे स्तर पर पहुंच जायें कि वे अपने अधिकार को मांग सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। यह ऐसी बातें हैं जिन पर सदन को ध्यान देना चाहिये।

Mr. Chairman: The hon. Member may continue the next day.

17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Saturday, the August 18, 1962/Sravana 27, 1884 (Saka).